

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (युप-5) विभाग

FAX

132

क्रमांक: प.12(6)शिक्षा-5/2014

जयपुर, दिनांक: 15/7/2014

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

RTE
15/7/14

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014-15 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देशों के टाईम फ्रेम में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.12 (6) शिक्षा-5/2014 जयपुर, दिनांक: 3.2.2014 एवं पत्र क्रमांक प.12 (6) शिक्षा-5/2014 जयपुर, दिनांक: 10.0.0011। तथा पत्र क्रमांक प.12 (6) शिक्षा-5/2014 जयपुर, दिनांक: 10.0.2014 के द्वारा सत्र 2014-15 के लिए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित टाईम फ्रेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


क्र. सं.	विवरण/ गतिविधि	1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ	संशोधित तिथियाँ	1 मई या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ	संशोधित तिथियाँ	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	25 जून तक	यथावत	15 अप्रैल तक	15 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय तक
2	आवेदन पत्रों का वितरण	9 जुलाई तक	18 जुलाई तक	9 जुलाई तक	18 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय तक
3	आवेदन पत्र प्राप्ति	10 जुलाई तक	19 जुलाई तक	10 जुलाई तक	19 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय तक
4	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की वेब पोर्टल पर प्रेषिणी	15 जुलाई तक	23 जुलाई तक	15 जुलाई तक	23 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय तक
5	ऑन लाइन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण	17 जुलाई तक	25 जुलाई तक	17 जुलाई तक	25 जुलाई तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	बालकों को विद्यालय में प्रवेश	18 जुलाई से	26 जुलाई से	18 जुलाई से	26 जुलाई से	संबंधित निजी विद्यालय तक
7	निःशुल्क प्रेषित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रेषित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	यथावत	31 जुलाई तक	31 जुलाई तक	यथावत	संबंधित निजी विद्यालय तक

कमरा: .. 2 पर

// 2 //

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूर्वानुसार तत्काल सूचित करावें तथा एनआईसी के माध्यम से वेब पोर्टल पर आवश्यक संशोधन को अपलोड करावें।

भवदीय,



वरिष्ठ शासन उप सचिव,

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविर/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर निर्माण/18894/13-14/124 दिनांक-15-7-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प.12(6)शिक्षा-5 /2014पार्ट दिनांक 15.07.14 के क्रम में।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित कर अनुपालना करवावें।
6. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एवं प्रोजेक्ट समन्वयक एन.आई.सी. केन्द्र जयपुर।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....
8. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा..... को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कर आदेशों की फालना सुनिश्चित करावें।
9. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर